समक्ष– न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी–0039/2019/मंदसौर/भू.रा. निगरानी क्र.– .... / 18

अनिल कुमार पिता लाला दलेलसिंह जी गुप्ता
उम्र–65 वर्ष, व्यवसाय–कृषि एवं व्यापार
निवासी–पुलिस लाईन के सामने, मंदसौर
जिला–मंदसौर (म.प्र.) ——प्रार्थी / निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1– आंजना कन्स्ट्रक्शन कम्पनी
ग्राम–केसुन्दा, जिला–चित्तौडगढ (राज.)
द्वारा–मुख्त्यारआम रामलाल पिता रतनलाल आंजना
निवासी–बसाड़, तहसील व जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

2– परिसमापक अधिकारी
दी जीवाजीराव शुगर मिल कम्पनी लिमिटेड
दलौदा, जिला–मंदसौर (म.प्र.)

3– सोहनलाल पिता नानालाल सुराना आदि आपत्तिकर्तागण
निवासीगण–ग्राम दलौदा
तहसील दलौदा, जिला–मंदसौर (म.प्र.)

4– म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार, तहसील दलौदा
जिला–मंदसौर (म.प्र.) —— विपक्षी / रेस्पांडेंटगण

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू.रा.संहिता–1959 विरूद्ध आदेश दिनांक–09.10.18 पारित न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन (श्री पी.आर. कतरोलिया सा.) प्रकरण क्र.–1520 / अपील / 16–17 (पुराना प्र.क्र.–198 / अपील / 14–15) आंजना कन्स्ट्रक्शन विरूद्ध परिसमापक अधिकारी आदि।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की और से निम्नानसार निगरानी प्रस्तुत है:–

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-0039/2019/मंदसौर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री टी.टी. गुप्ता उपस्थित। उन्हें ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 04.01.2019 को प्रस्तुत की गई है। संहिता में हुए नवीन संशोधन जो 25.09.2018 से प्रभावी हुआ है। उसकी धारा 50(2) के अनुसार अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी ग्रहण नहीं किए जाने का प्रावधान किया गया है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने से अग्राहय की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। **प्रशासकीय सदस्य**	